



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



e-mail : pccf-development@gov.in



- 6207419016

पत्रांक : 01/यो0ब0-21/2025-497 दिनांक :- 06/08/2026

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2031-32 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यान्वित की जाने वाली "नदी तट वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल **रु0 7.17 लाख (सात लाख सत्रह हजार रुपये)** मात्र राशि का अतिरिक्त ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक-01/यो0ब0-21/2025-428 दिनांक-15.07.2026।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-70-नदी तट वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 7.17 लाख (सात लाख सत्रह हजार रुपये)** मात्र का अतिरिक्त उप आवंटन निम्नलिखित इकाइयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060179670010103	6.87
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060179670010323	0.30
कुल :-		7.17

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2** तथा ऑन लाईन उप-आवंटन **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

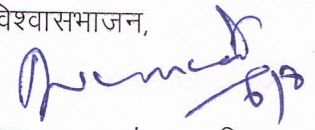
3. पूर्व में उप-आवंटित राशि के यह अतिरिक्त आवंटन है। पूर्व उप-आवंटन के सभी शीर्ष एवं शर्त यथावत रहेंगे।

4. स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा-निर्देशों का ससमय अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

5. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या-2517 दिनांक-24.06.2026 का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

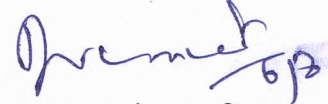


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-21/2025-497 दिनांक- 06/08/2026

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची / पी0एम0यू0सेल, योजना अंचल, राँची/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

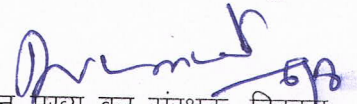


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-21/2025-497 दिनांक- 06/08/2026

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

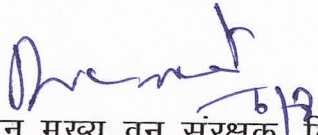


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यान्वित की जाने वाली "नदी तट पर वृक्षारोपण योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹0 468 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (कि०मी० में)	यूनिट कि संख्या (प्रति कि०मी० 10 यूनिट)	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				13738.61	600.00	14338.61
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा	5.00	50.00	6.87	0.30	7.17
योग :-		5.00	50.00	6.87	0.30	7.17

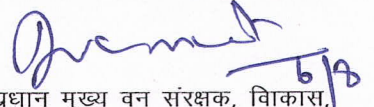

 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
 झारखण्ड, राँची।

^

नदी तट पर वृक्षारोपण का अनुसूचित दर तालिका

पौधों की संख्या प्रति यूनिट	300	
पौधों की दूरी	2mx3m	
1 यूनिट का परिमाण	2000 m2	100*20
1 यूनिट में घेरान की कुल लम्बाई	240m	
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	468.00	रुपये

क. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	वित्तीय वर्ष 2026-27 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 468/-					
1	दो कोड़नी एवं निकोनी	प्रति इकाई	11.00	5148.00	0.00	5148.00
2	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	18.00	8424.00	0.00	8424.00
3	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	600.00	600.00
4	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	166.61	0.00	166.61
	कुल:-		29.00	13738.61	600.00	14338.61


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

I

पत्र संख्या - 01/YB-21/2025/497

दिनांक - 06-Aug-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060179670010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भत्ते	51619	SGHFOR001 ADITYA NARAYAN D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV. 03 - मजदूरी	687,000.00 रुपये छः लाख सित्तासी हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060179670010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	51626	SGHFOR001 ADITYA NARAYAN D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30,000.00 रुपये तीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये सात लाख सत्रह हजार

717,000.00

क्रमिक योग:

(DESETTI VENKATESWARLU)
ADDL PCCF DEV. JHARKHAND